संख्या-548/2017/1810/22-2-2016-17(126)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2017***

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रफीक पुत्र श्री जफ्फू निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम 06.09.2016) दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रफीक पुत्र श्री जफ्फू, निवासी ग्राम-ओदरा नेवलिया, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई हालपता मोहल्ला फतेहगंज, थाना मल्लावां, जिला हरदोई का रहने वाला है। पक्षों के मध्य मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03-03-1994 को अपरान्ह् लगभग 05:45 बजे मुस्सू उर्फ मुशीर अली के घरों पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की। इस फायरिंग में कुछ लोग घटनास्थल पर मारे गये एवं कुछ लोग जान बचाने के लिए घरों के अन्दर छिपकर दरवाजे बन्द कर लिए, जिन्हें मारने की नीयत से दरवाजों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे कुल-12 लोगों की मृत्यु हो गयी, जिनमें नाबालिग बच्चे तथा महिलायें शामिल थीं। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149,148,364,436 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा दिनांक 17-08-2000 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26-09-2003 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास का दण्ड इस निर्देश के साथ परिवर्तित किया किया गया कि बन्दी को 20 वर्ष से पूर्व रिहा नहीं किया जायेगा। बन्दी द्वारा दिनांक 03.08.2016 तक 21 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 05 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अन्धाधुन्ध फायरिंग करके एवं दरवाजों पर मिट्टी का तेल डालकर व आग लगाकर 12 सदस्यों की बर्बर एवं निर्मम हत्या की गयी है, जिनमें नाबालिग बच्चे तथा महिलायें भी शामिल थीं। कोई भी मृतक बचाव करने की स्थिति में नहीं था। बन्दी द्वारा जघन्यतम् अपराध कारित किया गया है। इस हत्याकाण्ड में सम्पूर्ण परिवार को जलाकर भस्म कर दिया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रफीक पुत्र श्री जफ्फू, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-ए/ लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रफीक (बन्दी संख्या-14758) पुत्र श्री जफ्फू, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-548/2017/1810(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-548/2017/1810/22-2-2016-17(126)/2008

दिनांक 12 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध रफीक (बन्दी संख्या-14758) पुत्र श्री जफ्फू, निवासी ग्राम-ओदरा नेवलिया, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई हालपता मोहल्ला फतेहगंज, थाना मल्लावां, जिला हरदोई का रहने वाला है। पक्षों के मध्य मुकदमेंबाजी को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03-03-1994 को अपरान्ह् लगभग 05:45 बजे मुस्सू उर्फ मुशीर अली के घरों पर अन्धाधुन्ध फायरिंग की। इस फायरिंग में कुछ लोग घटनास्थल पर मारे गये एवं कुछ लोग जान बचाने के लिए घरों के अन्दर छिपकर दरवाजे बन्द कर लिए, जिन्हें मारने की नीयत से दरवाजों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे कुल-12 लोगों की मृत्यु हो गयी, जिनमें नाबालिग बच्चे तथा महिलायें शामिल थीं। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149,148,364,436 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा दिनांक 17-08-2000 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26-09-2003 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास का दण्ड इस निर्देश के साथ परिवर्तित किया किया गया कि बन्दी को 20 वर्ष से पूर्व रिहा नहीं किया जायेगा। बन्दी द्वारा दिनांक 03.08.2016 तक 21 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 05 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अन्धाधुन्ध फायरिंग करके एवं दरवाजों पर मिट्टी का तेल डालकर व आग लगाकर 12 सदस्यों की बर्बर एवं निर्मम हत्या की गयी है, जिनमें नाबालिग बच्चे तथा महिलायें भी शामिल थीं। कोई भी मृतक बचाव करने की स्थिति में नहीं था। बन्दी द्वारा जघन्यतम् अपराध कारित किया गया है। इस हत्याकाण्ड में सम्पूर्ण परिवार को जलाकर भस्म कर दिया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रफीक पुत्र श्री जफ्फू, निवासी जनपद-हरदोई को फार्म-ए/ लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।